125 101/05

# अपिटा के याजपत

The Gazette of India

असाधारण TRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — सप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY P.o. - 1450 RM - 30

CPB - 280

tt. 323] No. 323] नई दिल्ली, सोमकार, अगस्त 2, 2004/आवण 11, 1926

NEW DELEI, MONDAY, AUGUST 2, 2004/SRAVANA 11, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2004

न्रा किया

प्रभारी रा॰ वि॰ एकक

सा का नि 490(अ) — केंग्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्मलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संकित नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 है ।
  - (2) ये 2 अगस्त, 2004 को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. परिवासएं :- इन नियमों में, जब तक कि सैंदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) 'खाता' से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार जमाकर्ता द्वारा खोला गया कोई बचत खाता अभिनेत है :
- (ख) 'अधिनियम' से सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत
- (4) जमा' से इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी खाते में जमा किया गया धन
  - ी रे 'जमाकर्ता' से ऐसा कोई व्यक्ति अमिप्रेत हैं -
  - (i) जिसने इन नियमों के उपबंधों के अधीन कोई खाता खोलने की तारीख को साठ े वर्ष खा उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, और उसके द्वारा या उसकी ओर से इन नियमों के अधीन किसी खाते में धन जमा किया जाता है ;

2372 GE/3004 - /A

71

- (ii) जिसने इन नियमों के अधीन कोई खाता खोलने की तारीख को 55 वर्ष या उससे अधिक, किंतु 60 वर्ष से कम की आयु प्राप्त कर ली है, और जो स्वेच्छ्या सेवानिवृत्ति स्कीम या किसी विशेष स्वेच्छ्या सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त हो गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उस व्यष्टि ने सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के मीतर खाता खोला है और नियोजक से स्वेच्छ्या या विशेष स्वेच्छ्या सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति फायदे, नियोजक के साथ धारित नियोजन, ऐसे नियोजन की अवधि सहित सेवानिवृत्ति के तथ्य उपदर्शित करते हुए एक प्रमाणपत्र आवेदन पत्र (प्ररूप -क) के साथ संलग्न है।
- (इ) 'जमा कार्यालय' से भारत में ऐसा कोई डाकघर अभिप्रेत है, जो बच्न बक कार्य कर रहा है और महानिदेशक, डाक द्वारा इन नियमों के अधान कोई खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है ;
- (च) 'प्ररूप' से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ।
- 3. खाता खोलना :-- (1) कोई जमाकर्ता किसी जमा कार्यीलय में आयु के सबूत सहित प्ररूप-घ में जमा पर्ची के अनुसार जमा की रक्षम सहित प्ररूप-क में आवेदन करके कोई खाता खोल सकेगा।
- (2) कोई जमाकर्ता इन नियमों के अधीन एक से अधिक खाता प्रचालित कर सकेगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सभी खातों में कुल मिलाकर जमा नियम 4 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा :

परन्तु किसी कैलेंडर मास के दौरान उसी जमा कार्यांसय में एक से अधिक खाता नहीं खोला जाएगा।

- (3) जमाकर्ता व्यष्टिक रूप से या पति अथवा पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकेगा/ सकेगी।
- 4. जमा करना और वापस लेना : (1) खाते में एक हजीर रूपए के गुणकों में पन्द्रह लाख रूपए से अनिधक का केवल एक जमा होगा ।
- (2) जैसाकि नियम 9 में उपबंधित हैं, के सिवाय कोई खाता खोले जाने की तारीख से पांच वर्ष की अविध के अवसान से पूर्व इन नियम के अधीन कोई वापसी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
- (3) जमाकर्ता उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट के अनुसार पांच वर्ष की परिपक्वता अपि के पश्चात् एक वर्ष की अविध के भीतर जमा कार्यालय में प्ररूप ख में कोई आवेदन करके खाते को तीन वर्ष की और अविध के लिए विस्तारित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के अधीन खाते का विस्तारण आवेदन की तारीख को ध्या न में लाए बिना परिपक्वता की तारीख से किया गया समझा जाएगा ।

- (4) जमा कार्यालय जैसे ही उसकी जानकारी में यह आता है कि कोई जमा उपनियम (1) के अधीन दिहित अधिकतम सीमा से अधिक है, जमाकर्ता से लिखित में तुरंत अधिक जमा को वापस लेने का अनुरोध कर सकेगा।
- 5. जमा की रीति : (1) इन नियमों के अधीन जमा निम्निस्तिखत रूप में किया जा सकेगा :
- (क) नकद में, यदि जमा की रकम एक लाख रूपए से कम है ।
- (ख) जमाकर्ता के पक्ष में देय वैक या मांगपत्र द्वारा और जमा कार्यालय के पक्ष में पृष्ठांकित करके।
- (2) जहां जमा चैक या मांगपत्र द्वारा किया गया है, इन नियमों के अधीन जमा की तारीख चैक या मांगपत्र के भुनाए जाने की तारीख होगी।
- (3) जहां जमा किसी बाह्य स्थान के चेक या मांगपत्र द्वारा किया जाता है वहां विहित दर पर संग्रहण प्रभार जमा के साथ संदेय होंगे और चेक या मांगपत्र भुनाए जाने की तारीख जमा की तारीख होगी।
- 6. **नामनिर्देशन :** (1) जमाकर्ता इन नियमों के अधीन खाता खोलते समय जमानिर्देश मृत्यु की दशा में ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशित करेगा, जो खाते में शोध्य संदाय के हकदार होगा/ होंगे ।
- (2) यदि ऐसा नामनिर्देशन खाता खोलने के समय नहीं किया जाता है, तो इसे ज्ञाकर्ता द्वारा खाता खोले जाने के पश्चात् किसी भी समय किंतु उसके बंद होने से पूर्व प्रस्का -ग में किसी आवेदन द्वारा जमा कार्यालय में पासबुक सहित किया जा सकेगा ।
- (3) जमाकर्ता द्वारा किया गया नामनिर्देशन उस जमा कार्यालय में जिसमें खाता है, प्ररूप ग में नए सिरे से नामनिर्देशन करके रद्द किया जा सकेगा या परिवर्तित किया जा सकेगा।
- (4) संयुक्त खाते की दशा में भी नामनिर्देशन करने की सुविधा उपलब्ध होगी तथापि ऐसे मामले में संयुक्त धारक प्रथम व्यक्ति होगा, जो जमाकर्ता की मृत्यु की दशा में संदेय रकम प्राप्त करने का हकदार होगा और नामनिर्देशिती का दावा जमाकर्ता और संयुक्त धारक दोनों की मृत्यु के पश्चात् उद्भूत होगा।
- स्पष्टीकरण: संयुक्त खाता या जहां नामनिर्देशिती मात्र पति या पत्नी है, की दशा में, नियम 8 के उपनियम (3) के नीचे परन्तुक के अनुसार पति या पत्नी खाता चालू रख सकेगा/ सकेगी।
- (5) संयुक्त खाते की दशा में या उस दशा में जहां पित या पत्नी मात्र नामनिर्देशिती हैं, पित या पत्नी जमाकर्ता की मृत्यु के पश्चात् उपनियम (2) से उपनियम (4) के अनुसार पहले किए गए नामनिर्देशन को रद्द करने या परिवर्तित करने का हकदार होगा / होगी ।

- (6) प्रत्येक नामनिर्देशन और उसका प्रत्येक रद्दकरण या परिवर्तन जमा कार्यालय में रिजस्टरीकृत किया जाएगा और ऐसे रिजस्ट्रीकरण की तारीख से विधिमान्य होगा और उसकी विशिष्टियां पासबुक में दर्ज की जाएगी।
- 7. जमा पर ब्याज : (1) इन नियमों के अधीन किए गए जमा पर ब्याज वार्षिक दर जमा करने की तारीख से नौ प्रतिशत होगी ।
- (2) ब्याज पहली बार, यथास्थिति जमा की तारीख से 31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितंबर / 31 दिसंबर को संदेय होगी और तत्पश्चात् ब्याज 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को संदेय होगा ।
- (3) यदि उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय की कोई तारीख रविवार या किसी अवकाश दिन को है, तो ब्याज के संदाय के प्रयोजन के लिए गत कार्य दिवस ही देय तारीख समझी जाएगी ।
- (4) यदि ऐसा प्राधिकृत किया जाए, तो उपनियम (2) में, यथा विनिर्दिष्ट तारीखों को संदेय ब्याज उस जमा कार्यालय में जिसमें खाता विद्यमान है जम्मकर्ता के बचत खाते में इस शर्त के अधीन रहते हुए जमा की जाएगी, कि इस प्रकार जमा की गई ब्याज की रकम, बचत खाते में ऐसे जमा किए जाने पर जमा की अधिकतम सीमा, यदि कोई हो, से अधिक नहीं है।
- (5) यदि जमाकर्ता द्वारा प्रत्येक तिमाही को संदेय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है तो ऐसे ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज अर्जित नहीं होगा ।
- (6) ब्याज को एक रुपये के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या अधिक की रकम को एक रुपये के रूप में समझा जायेगा और पचास पैसे से कम की रकम की उपेक्षा की जायेगी।
- (7) नियम 4 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट अधिक रकम पर समय समय पर डाकघर बचत खाता पर लागू दर से ब्याज होगा और ऐसा ब्याज उस मास के पूर्वगामी मास के अंत में अधिक जमा रकम की तारीख से संदेय होगा जिसको जमा कार्यालय अधिक्य रकम वापस लेने के लिए निवेदन करेगा, जमाकर्ता को पहले ही संदत्त अधिक्य ब्याज की रकम, यदि कोई हो, कटौती की जायेगी।
- (8) नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन परिपक्वता के पश्चात् खाता जारी रहने की दशा में ऐसे खाते में जमा पर परिपक्वता की तारीख को इन नियमों के उपबंधों के अधीन खोले गए नए खाते या खोले जाने वाले खाता पर लागू दर पर ब्याज अर्जित होगा।
- (9) नियम 8 के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार किसी समय पर कोई खाता परिपक्व होने पर नहीं जारी रखा जाता है और किसी समय बंद कर दिया जाता है, की दशा में तो समय-समय डाकघर बचत खाते के अधीन खातों को यथालागू दर पर पश्च परिपक्व

ब्याज, खाते के बंद करने के मास के पूर्वगामी मास के अंत तक ऐसे परिपक्व जमा पर संदेय होगा ।

- 8. खाता बंद करना :- (1) खाता के खोले जाने के समय कियें गये जमा को, जमा कार्यालय जहां जमाकर्ता का खाता है प्ररूप ङ पर लिखित आवेदन (वापसी प्ररूप) द्वारा संलग्न पास बुक प्रस्तुत किये जाने पर खाते के खोले जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर या उसके पश्चात्, संदत्त किया जायेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट परिपक्वता पर, जमाकर्ता के खाता बंद नहीं करने और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन खाते को जारी भी नहीं रखने की दशा में, खाते को परिपक्व हुआ समझा जाएगा और जमाकर्ता उस शर्त के अधीन रहते हुए, जिसमें नियम 7 के उपनियम (10) के अधीन यथाविहित पश्च परिपक्व ब्याज परिपक्वता से परे की अविध केवल ग्राह्य होगा, खाता को किसी भी समय बंद करने का हकदार होगा।
- (3) परिपक्वता के पूर्व जमाकर्ता की मृत्यु की दशा में, खाता बंद कर दिया जायेगा और उस मास जिसको प्रतिदाय किया जाता है, प्ररूप च में किसी आवेदन पर जमा राशि का प्रतिदाय नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी को पूर्व मास के अंत तक ब्याज सहित किया जाएगा, यदि यथास्थिति, नामनिर्देशिती भी नहीं रहता है या नियम 6 में यथा उपबंधित नामनिर्देशन नहीं किया गया है:-

परंतु संयुक्त खाते की दशा में, जहां पित या पत्नी अकेला नामनिर्देशिती है वहां पित या पत्नी इन नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर खाता जारी रख सकेगा :

परंतु यह और कि यदि पति या पत्नी संयुक्त खाता जारी नहीं रखने की दशा में, वहां प्ररूप - च में आवेदन किए जाने पर खाता बंद कर दिया जायेगा और उपरोक्तानुसार ब्याज सहित जमा का प्रतिदाय किया जाएगा ।

(4) जहाँ जमाकर्ता की मृत्यु के समय कोई नामनिर्देशन नहीं रहता है वहां मृतक जमाकर्ता के नाम जमा रकम, जमाकर्ता कार्यालय द्वारा जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के उपबंधों के अधीन जारी मृतक जमाकर्ता की प्रबोट की गई वसीयत की अनुप्रमाणित प्रति के साथ प्रशासन पत्र के साथ प्ररूप - च में किसी आवेदन की प्राप्ति पर मृतक जमाकर्ता के विधिक उत्तराधिकारी को किया जायेगा ।

परंतु प्ररूप च के उपाबंधों के प्ररूपों में (i) क्षितिपूर्ति का पत्र (ii)शपथ पत्र (iii)शपथ पत्र पत्र पर दावा त्याग पत्र (iv) स्टांप पेपर पर जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत किए जाने पर एक लाख तक की संदेय कुल रकम जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, विधिक उत्तराधिकारी को संदत्त किया जा सकेगा।

- (5) जमाकर्ता की मृत्यु के कारण किसी समय किसी खाते के अपरिपक्व रूप से बंद होने की दशा में, नियम 9 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कोई कटौती नहीं की जाएगी।
- 9. खाते का समयपूर्व बंद होना :- (1) नियम 4 के उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस संबंध में जमाकर्ता को जमा राशि वापिस लिए जाने की और खाता खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञा दी जा सकेगी अर्थात्:-
- (क) यदि खाता, खाता खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तथा दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व बंद किया जाता है तो जमा की गई रकम के डेढ़ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती की जायेगी और शेष जमाकर्ता को संदत्त कर दिया जायेगा ;
- (ख) यदि खाता खोले जाने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति पर या उसके पश्चात् खाता बंद किया जाता है तो जमा की गई रकम का एक प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती की जायेगी और शेष जमाकर्ता को संदत्त कर दिया जायेगा।
- (2) नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन खाते के विस्तार की सुविधा का लाभ लेने वाला जमाकर्ता विस्तार की तारीख से एक वर्ष की अविध समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय बिना किसी कटौती के जमा को वापस लेने या खाते को बंद करे करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- 10. पास बुक :- (1) किसी खाते के खोलने पर, जमाकर्ता को तत्काल एक पास बुक दी जाएगी जिसके साथ जमा पर्ची की जमाकर्ता प्रति (प्ररूप घ) जमाकर्ता कार्यालय द्वारा समान रूप से मुद्रांकित और हरताक्षारित होगी जो इस बात का प्रमाण होगी कि रकम जमाकर्ता को प्राप्त हो गई है। पास बुक में खाता खोलने की तारीख, खाता संख्या, जमाकर्ता का नाम, फोट्रो (संयुक्त खाते की दशा में पित और पत्नी का नाम और फोट्रो) और पता, जमा रकम, त्रैमासिक ब्याज के साथ भुगतान की देय तारीख, वह तारीख जिसको जमा अंतिम भुगतान के लिए देय होगा, किसी अभिकर्ता द्वारा खाते को प्रस्ताकृत करने की दशा में, अभिकर्ता का नाम, अभिकर्ता कोड संख्यांक, तारीख और विधिमान्यता हांगे

परंतु यदि जमा चेक या मांग देय ड्राफ्ट द्वार किया गया है, तो जमाकर्ता को पासबुक चेक या मांग देय ड्राफ्ट के भुनाने के पश्चात् नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन उपबंधित रीति में दी जायेगी।

- (2) जमाकर्ता नियम 7 के उपनियम (4) के अधीन बचत खाते में ब्याज के जमा की सुविधा का लाभ लेता है उसे प्रविष्टियों को पूरा करने के लिए वर्ष में कम-से-कम एक बार जमा कार्यालय को पास बुक देनी होगी।
- (3) जमाकर्ता नियम 7 के उपनियम (4) के अधीन बचत खाते में ब्याज के जमा की सुविधा का लाभ नहीं लेता है, परंतु त्रैमासिक ब्याज को लेने के समय जमा कार्यालय में पास बुक प्रस्तुत करनी होगी।

- (4) मूल पास बुक के खो जाने, या विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में, पास बुक की द्वितीय प्रति सादे कागज पर साधारण प्रार्थना पत्र पर पहली बार पास बुक की द्वितीय प्रति जारी करने की दशा में दस रुपये की फीस और पश्चातवर्ती मामलों में बीस रुपये के भुगतान पर जारी की जा सकेगी। पास बुक की दूसरी प्रति (प्रतियाँ) को जमा कार्यालय द्वारा आफिस के अभिलेखों में जिसमें खाता पन्ना जिसमें की खाते के विशिष्टयां हैं, में नोट कर लिया जायेगा।
- (5) पास बुक की द्वितीय प्रति जारी हो जाने के पश्चात् खोई हुई पास बुक मिल जाने की दशा में, वह किसी प्रयोजन के लिए विधिमान्य नहीं मानी जायेगी और उसे जमा कार्यालय को तत्काल अभ्यार्पण करना होगा जिसे जमाकर्ता की उपस्थिति में तत्काल नष्ट कर दी जायेगी।
- 11. खाते का एक जमा कार्यालय से अन्य में अंतरण :- कोई जमाकर्ता प्ररूप छ के साथ पास बुक संलग्न करते हुए, अपने खाते को अपने निवास स्थान के परिवर्तन की दशा में दूसरे जमा कार्यालय को अंतरित किये जाने का आवेदन कर सकेगा !

परंतु जहां जमा एक लाख रुपये या अधिक है, जमा के अंतरण की फीस पांच रुपये प्रति लाख संदेय होगी ।

- 12. नियमों के उल्लंघन में खाते का खोला जाना :- ज्योंही यह जानकारी में आता है कि कोई खाता इन नियमों के उल्लंघन में खोला गया है, खाते को तत्काल बंद कर दिया जायेगा और ब्याज की वसूली के पश्चात्, यदि कोई हो, जो ऐसे जमा को संदाय की गई है खाते में जमा, जमाकर्ता को वापस कर दी जायेगी।
- 13. अनिवासी भारतीय (एन.आर .आई) और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ) द्वारा जमा :-
- (1) इन नियमों के अधीन अनिवासी भारतीय कोई खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होगा ।

परंतु यदि इन नियमों अधीन, कोई जमाकर्ता करेंसी के खाते के दौरान अनिवासी भारतीय हो जाता है तो उसका खाता असंप्रत्यावर्तन के आधार पर परिपक्वता तक जारी रह सकेगा और खाते को अनिवासी खाते के रूप में चिहित कर दिया जायेगा ।

परंतु यह और कि उपर्युक्त परंतुक के अधीन खाता जारी रह सकेगा, नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन में उपबंधित रीति से किसी और अविध के लिए विस्तारित नहीं किया जायेगा ।

- (2) इन नियमों के अधीन अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब भी कोई खाता खोलने के पात्र नहीं होगा ।
- 14. िशिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि इन नियमीं के किसी उपबंध के प्रवर्तन से जमाकर्ता को अनुचित रूप से कठिनाई होती है, वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करते हुए, अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हुए बिना उस उपबन्ध की अपेक्षा से आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. 2-8/2004-एन एस-1]]

#### प्ररूप - क

(नियम 2 का	खंड (र	ा) और	नियम 3	का उप-नियम	(1) टेरिका)
	~~ /~	•/ •//	11141 3	471 0471744	I II GIYAU.

	(।नस्	१ ८.कः खंड (ख) आर ानयम (	3 का उप-नियम (1) दे	खेए)	
सेव	<b>वरिष्ठ नागरिक</b> । में,	बचत स्कीम, 2004 के आ	धीन खाता खोलने व	क्रम सं <b>हे लिए आवेदन</b>	••••••
	डाकपाल/भारसाधक, (जम	ा कार्यालय का नाम)	चिपकाएं	गेटों की एक प्रति (संयुक्त खाते की दशा और पित या पत्नी व	<b>में</b>
* ; अभि	अभिकर्ता का नाम (अभिकर्ता के करण कोड सं ता	माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा रीख	中)	तक विधिमान्य	
श्रीम				क का स्थायी लेखा सं	**
पता) नकद 2. (i) यथार	ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 ( अपने पति या अपनी पत्नी के एक खाता खोलने के लिए (ग्वेक/डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्र मैं/हम* घोषणा करता हूं/कर मैंने/हमने* उक्त स्कीम के अध ांशोधित (जिन्हें इसमें इसके पश्च मैं/हम* उक्त् नियमों का पूरी निष्	नाम म संयुक्ततःआवेदन करता ं की खाते स्तुत कजा हुं ग्रेंग्कुं विशिष्टि ते हैं कि,- गिन खातों को शासित करने व त् उक्त नियम कहा गया है) व	त स्काम कहा गया है) (आयु में जमा के लिए ट्रेयां संलग्न संदाय पर्ची	के अधीन अपने नाम में/ सहित पति या पत्नी क रुपए ( (प्रस्य-ध) में भरी हुई है	अपने नाम ग नाम व रुपए) ।
	उक्त स्कीम के अधीन मेरे/हमारे <sup>*</sup>	द्वारा पूर्व में खोले गए अन्य ख	ातों के ब्यौरे निम्लनिखि	त हैं :	
क्र. सं.	जमाकर्ता(ऑ) का नाम और खाते का प्रकार (राष्ट्रि) संयुक्त)	जमा कार्यालय का नाम और पता	खाता खोलने की तारीख सद्धित खाता सं.	जमा की रकम	
1					
2					
				*****	

- (iv) मैं/हम\*, मेरे/हमारे\* द्वारा एक साथ खोले गए सभी खातों में जमाों को लेते हुए, जैसा नियम 4 में विनिर्दिष्ट है और समय-समय पर संशोधित किया गया है, जमाों पर अधिकतम सीमा का पालन करेंगे । यदि, किसी भी समय कोई अधिक जमा पाया जाता है तो ऐसे अधिक जमा का, नियम 7 के उपनियम (8) के अधीन अधिक ब्याज की बसूली के पश्चात, मुझे/हमें प्रतिदाय कर दिया जाएगा ।
- में, नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता हूं, जिनको, सभी अन्य ्रक्तियों को छोड़कर, मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में, खाते में मेरे नाम में देय रकम नियम 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार संदेय होगी

क्रम सं.	जमाकर्ता के साथ नातेदारी सहित नामनिर्देशिती(यों) का/के नाम	स्थायी पता	अवयस्क/अन्य मामले(लो) में आयु की दशा में, नामनिर्देशिती (यों) की जन्म की तारीख(खें)	सदेय रकम में
<u> </u>				

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	_
3(क) चूंकि उपरोक्त क्रम सं पर नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं. मैं,	श्री/श्रीमती/कुमारी[ प्रत्येक अवयस्क
नामनिर्देशिती की बाबत व्यक्ति(यों) का/के स्थायी पता/पते सहित नाम] की	. नामनिदेशिती (यो) का अ <b>वयस्क</b> ता के दोशन गर
मृत्यु हो जाने पर उक्त खाते के अधीन शोध्य राशि प्राप्त करने के लिए नियुव	क्त करता हूं ।

जमाकर्ता के हस्तावार/ अंग्ठा निशान साक्षी (हस्ताक्षर, नाम और पता) : 1. ..... मेरे/हमारे नमूना हस्ताक्षर (अंगूठा निशान) निम्नवत हैं :-(i) प्रथम जमाकर्ता :-3. 2. 1. (ii)\* संयुक्त जमाकर्ता 2. # साक्षी ..... # साक्षी ..... # साक्षी ..... (प्रतिहस्ताक्षरित डाकपाल/भारसाधक) (प्रतिहस्ताक्षरित डाकपाल/भारसाधक) (प्रतिहस्तक्षरित डाकपाल/भारसाधक) तारीख ..... और कार्यालय की मुद्रा तारीख ..... और कार्यालय की मुद्रा तारीख ..... और कार्यालय की मुद्रा.... में यह भी घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दिए गए आवेदन में मेरे/हमारे द्वारा की गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और यदि किसी भी समय कोई भी जानकारी और /या घोषणा मिथ्या पाई जाती है, तो जमां पर कोई ब्याज मुझे/हमें\* संदेय नहीं होगा, जमा कार्यालय खाते (तों) को बंद कर दूंगा और जमां पर महत्ते ही संदत ब्याज की, यदि कोई हो, वसूली के पश्चात् जमां का प्रतिदाय कंरूंगा । भवदीय. (आवेदक के हस्ताक्षर) (वर्तमान डाक पता) तारीख ..... स्थान ..... संलग्नक : 1. आयु का सब्त । 2. यदि पैन आबंदित नहीं किया गया है तो पैन के आबंदन के लिए प्राप्त किए गए आवेदन प्रस्का की प्रति । 3. जमा की रकम सहित सम्यक्तः भरी हुई संदाय पर्ची (प्ररूप-घ) । 4. नियम 2 के खंड (घ) के उपखंड (ii) में यथातिनिर्दिष्ट नियोजक से प्रमाणपत्न ।

चो लागू न हो उसे काट दैं।

\*: (1) ऐसे आवेदक, जिनकी आय का कर निर्धारण नहीं किया गया है, यह स्व घोषणा कर सकेंगे कि सभी स्रोहों से उनकी आय (जिसके अंतर्गत इस आवेदन के द्वारा खोले जाने वाले खाते से प्राप्त ब्याज आय भी है) छूट सीमा को पार नहीं करती है और आवेदक से समय समय पर यथासंशोधित आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन पैन अभिम्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(2) अन्य सभी आवेदक अनिवार्य रूप से पैन सं. का उल्लेख करेंगे और यदि उनको आय कर प्राधिकारियों द्वारा अभी तक पैन आबंटित नहीं किया गया है तो पैन के आबंटन के लिए प्राप्त किए गए आवेदन की अनुप्रमाणित फोटोप्रति आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न करनी चाहिए ।

#: अंगूठा निशान की दशा में ।

टिप्पण : (1) निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की स्व अनुप्रमाणित प्रतियां आयु के सबूत के लिए संलग्न की जा सकती है :- नगरपालिक प्राधिकारी/ग्राम पंचायत/जिला जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार का कार्यालय, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र; पैनकार्ड ; पासपोर्ट ; राशनकार्ड ; ऐसे विद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक संस्था से जिसमें आवेदक अंतिम बार-छात्र-रहा हो, जन्म की तारीख प्रमाणपत्र या स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन

(2) संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रतियां भी सत्यापन के लिए साथ साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए और उन्हें तत्काल वापस कर

दें।

- 1	11
	ы

(नाम और पदनाम स्टांप सहित)

जमा कार्यात्वय वे	<b>जपवोग के लिए</b>
यश्चि नागरिक बचत स्कीम, 2004 सह खाता तारीख	को रुपए ( रुपए) से खोला
अमिकर्ता का नाम, अभिकरण संख्या, तारीख और विधिमान्यता प्रविष्ट खाते की दशा में) प्रविष्ट कर दिए गए हैं।	लंजर फॉलिय़ों और पास बुक में (अमिकर्ता के माध्यम से
पास बुक सं जारी कर दी राई है	
तारीख	जमा कार्यालय के भारसाधक के हस्ताक्षर
	(नाम और पदनाम मुद्रा सहित)
प्रकाप र	
(नियम 4 का उपनिव	यम (3) देखिए)
	क्रम सं()
बरिन्द मागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन किर	धी खाते को आगे जारी जबने के किए आनेक
सेवा में,	जारा का आरा रखन के लिए आवदन
डाकपाल/भारसाधक	1
(जमा कार्यालय का	। नाम)
minimum minimum (an anala an	
***************************************	
विहर : किसी साते को (तारीस/बास/बर्ग)	से तीन वर्ष के लिए खाते को आगे जारी रखने के लिए
महादेय,	$\epsilon$
ा. मैं, खाता संo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
***	स्कीम, 2004 के अधीन विस्तार की अवधि के वौरान खाते
3. मैं विस्तारित अविध पूरा होने को जीक पश्यात, खाते को उक्त खाते के संबंध में वसूलनीय किसी अध्य प्रभार के समायोज लूगा ।	
तारीख	जमाकर्ता के हस्ताक्षर
स्थान ु	(नाम और पता)
जमा कार्यालय के उ	पयोग के लिए
म्बाता <i>मंग्या</i> जो तारीख	को स्र
(रुपये) से वरिष्ठ ना	गरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन खोला गया था और
तारीख को लिए विस्तारित किया गया है। स्कीम के अधीन प्र जमों को लागू प्रतिशंत प्रतिवर्ष ब्याज की दर जमा की	तारीख तक रिपक्वता की तारीख को खोले गए या खोले जाने वाले नए
तदनुसार पास बुक सं0 में औ आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।	र सुसंगत लेजर फोलियों सं0 में
तारीख	
	जमा कार्यालय के भार साधक के हस्ताक्षर

#### प्ररूप ग (नियम 6 देखिए)

•			क्र	म सं0
	वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004	के अधीन नामनिर्देशन	।/नामनिर्देशन के परिवर्तन/रहकरण	। के लिए आवेदन
सेवा में				
	to the state of th			
	डाकपाल/भारसाधक	(जमा कार्यालय का	नाम)	
	***************************************	(जना कर्नासक कर	, <b>y</b>	
	***************************************			
^		 केन्द्रीय स्वयंक्रमणा के जि	n आतेहन ।	
विषय	: नामनिर्देशन या नामनिर्देशन के पर्	स्वतन/रहकरण क लि	C Ollega I	
महादेय,				
1. *	书,		नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को <sup>उ</sup>	नामनिर्दिष्ट करता/करती हूं
ਰਿਕੇ	अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित	करके. मेरी मृत्य की	दशा में, खाता संख्या	म मर नाम
बकाया	रकम, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम	नियम, 2004 के नियम	न 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसा	र सदय होगा ।
क्रम	जमाकर्ता के साथ नातेदारी सहित	स्थायी पता	अव्यस्क नामनिर्देशिती की दशा	
सं0	नामनिर्देशिती का (नामनिर्देशितियों		में जन्म की तारीख/ अन्य दशा	
	के) नाम		(दशाओं) में आयु	(नामनिर्देशितियों) का अंश्
करने व 3. * (नामरि 4. * नामनि	को, नामनिर्देशित/नामनिर्देशितियों की के लिए नियुक्त करता हूं । यह मेरे द्वारा, मेरे आवेदन ता वर्देशनों) के अधिक्रमण में है । मैं, देशन को रह करने का अनुरोध करता (हस्ताक्षर, नाम और पता) :	रीख	द्वारा खाता खोलते समय पर	इले किए गुए नामनिर्देशन
सादा।	(हस्ताबार, नान जार नता) .			•
1				जमाकर्ता के हस्ताक्षर
2				(नाम और महा)
•				(नाम और पता)
ताराख	I स्थान	,		
* जो	लागू न हो, उसे काट दें।			
	<del>,                                      </del>	जमा कार्यालय के	इपयोग के लिए	
	उपरोक्त <sup>े</sup> नामनिर्देशन तारीख के पहले व	***************************************	को रजिस्ट्रीकृत किया	गया है, और/या तारीख
आवश	तदनुसार पास बुक (सं0 ,, पक प्रविष्टियां कर दी गई है ।		और सुसंगत नेजर फोलियों सं0	.,,रैं
	तारीख			🛨 बाज सकास के व्यवकार
				के भार साधक के हस्ताक्षर म और पदनाम स्ट्रांप सहित्)

#### प्ररूप - घ (नियम 3 का उपनियम (1) और नियम 10 देखिए)

कम	संख्या	
<i>7</i> 1.	N. (541)	

#### जमाों के लिए संदायपर्ची वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन

ज्याकर्ती की प्रति जया कार्यालय का नाम जयाकर्ती का नाम जयाकर्ता के माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा में) अभिकरण कोर्ड सं तारीख और विधिमान्यता सहित ज्यात सं ज्यात सं ज्यात सं जयाकर्ता कारीख जयाकर्ता कारीख जयाकर्ता कारीख जयाकर्ता कारीख जयाकर्ता कारायाकर जयाकर कार्यालय द्वारा भरा जाए) जया की रुकम (६)# वेक/हिमांड द्वापट वसूली प्रमार (६)## व्याता अंतरण फीस (६)## व्यात		निर्म क्यानार क्या	(क)म, 2004 के अधान T		
जमा कार्यालय का नाम जमाफर्का का नाम जमाफर्का का नाम जमाफर्का का नाम * अमिकर्का का नाम (अमिकर्का के माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा में) अभिकरण कोई सं. तारीख और विविमान्यता सहित	प्रतिपर्ण (1)		प्रतिपर्ण (2)		
जमाकर्ता का नाम					
पता चिता/पति का नाम  * अमिकर्ता का नाम (अमिकर्ता के माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा में) अमिकरण कोई सं तारीख और विविमान्यता सहित  खाता सं					
चिता/पति का नाम   चिता/पति का नाम   चिता/पति का नाम   अभिकर्ता के नाम   अभिकर्ता का नाम (अभिकर्ता के माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा में) अभिकरण कोई सं. तारीख और विविमान्यता सहित	i		जमाकर्ता का नाम		
* अभिकर्ता का नाम (अभिकर्ता के माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा में) अभिकर्ता को नाम (अभिकर्ता के माध्यम से प्रविष्ट खाते की दशा में) अभिकरण कोर्ड सं. तारीख और विधिमान्यता सहित		<del></del>	पता		
की दशा में) अभिकरण कोर्ड सं. तारीख और विधिमान्यता सहित			पिता/पति का नाम		
को दशा में) अभिकरण कोर्ड सं. तारीख और विधिमान्यता सहित	🤻 अभिकर्ता का नाम (अभिकर्ता के माध्यर	न से प्रविष्ट खाते		म से प्रविष्ट खाते	
सहित	की दशा में) अभिकरण कोर्ड सं. तारीख	और विधिमान्यता	की दशा में) अभिकरण कोर्ड सं. तारीख और विधिमान्यता		
(जमा कार्यालय द्वारा भरा जाए) लेजर फोलियो	सहित		सहित		
तेजर फोलियो			खाता सं तारीख	-	
जमा की रकम (रु.)#  चेक/डिमांड ड्राफ्ट वसूली प्रमार (रु.)## खाता अंतरण फीस (रु.)## खाता अंतरण फीस (रु.)## खाता अंतरण फीस (रु.)## दूसरी पास बुक जारी करने के लिए फीस (रु.)## अन्य प्रमार, यदि कोई हो(रु.)## कुल रकम (रु.) कुल रकम शब्दों में (रु	(जमा कार्यालय द्वारा भरा जाए)	<u>.                                    </u>			
जमा की स्कम (रु.)#  चेक/डिमांड झ्राफ्ट वस्ती प्रमार (रु.)## खाता अंतरण फीस (रु.)## खाता अंतरण फीस (रु.)## स्वाता अंतरण फीस (रु.)## द्वारी पास बुक जारी करने के लिए फीस (रु.)## अन्य प्रमार यदि कोई हो(रु.)## कुल रकम राव्दों में (रु) कुल रकम शब्दों में (रु) कुल रकम शब्दों में (रु) कुल रकम शब्दों में (रु	लंजर फोलियो(जमा कार्यालय द्वा	रा भरा जाए)	लेजर फोलियो(जमा कार्यालय द्वा	रा भरा जाए)	
बस्ती प्रमार (रु.)## खाता अंतरण फीस (रु.)## खाता अंतरण फीस (रु.)## दूसरी पास बुक जारी करने के लिए फीस (रु.)## अन्य प्रमार यदि कोई हो(रु.)## कुल रकम (रु.) कुल रकम शब्दों में (रु) कुल रकम रहा में (रु					
खाता अंतरण फीस (रु.)##	,				
खाता अंतरण फीस (रु.)##     दूसरी पास बुक जारी करने के लिए फीस (रु.)## अन्य प्रमार यदि कोई हो(रु.)## कुल रकम (रु.) कुल रकम शब्दों में (रु			वसूली प्रभार (रु.)##		
दूसरी पास बुक जारी करने के लिए फीस (रू.)##  अन्य प्रमार, यदि कोई हो(रू.)##  कुल रकम (रू.)  कुल रकम शब्दों में (रू					
(रु.)## अन्य प्रमार, यदि कोई हो(रु.)## कुल रकम (रु.) कुल रकम (रु.) कुल रकम शब्दों में (रु	दूसरी पास बुक जारी करने के लिए फीस				
अन्य प्रमार यदि कोई हो(रु.)##  कुल रकम (रु.)  कुल रकम शब्दों में (रु	_ (रु.)##				
कुल स्कम (रु.) कुल स्कम शब्दों में (रु					
कुल रकम शब्दों में (रु	कुल रकम (रु.)		कुल रकम (रु.)		
नकद जमा के ब्योर   रकम   नकद जमा के ब्योर   रकम     1000 x   1000 x     500 x   100 x     100 x   100 x     50 x   50 x     20 x   20 x     10 x   10 x     10 x   05 x     02 x   02 x     01 x     01 x     01 x     04 x     05 x     05 x     05 x     05 x     06 x     07 x     08 x     08 x     09 x     0	कुल रकम शब्दों में (रु)			-	
1000 x       1000 x         500 x       500 x         100 x       100 x         50 x       50 x         20 x       20 x         10 x       10 x         05 x       05 x         02 x       02 x         01 x       01 x         सिक्के       सिक्के         योग (नकद)       योग (नकद)         वैक/हिमांड द्वापट सं. और तारीख       वैक/हिमांड द्वापट सं. और तारीख         बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है       वैक/शाखा जिस पर लिखा गया है         रकम (रुपए)       रकम (रुपए)         (जमाकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा       (जमाकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा		रकम	नकद जमा के ब्यौरे	रकम	
100 x       100 x         50 x       50 x         20 x       20 x         10 x       10 x         05 x       05 x         02 x       02 x         01 x       01 x         सिक्के       सिक्के         योग (नकद)       योग (नकद)         चैक/हिमांड द्रापट सं. और तारीख       चैक/हिमांड द्रापट सं. और तारीख         बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है       बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है         स्कम (रूपए)       स्कम (रूपए)         (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा       (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा	1000 x		1000 x		
50 x 50 x 20 x 20 x 10 x 10 x 10 x 10 x 05 x 05 x 05 x 0	500 x		500 x		
20 x     20 x       10 x     10 x       05 x     05 x       02 x     02 x       01 x     01 x       सिक्के     सिक्के       योग (नकद)     योग (नकद)       वैक/हिमांड द्राफ्ट सं. और तारीख     चैक/हिमांड द्राफ्ट सं. और तारीख       बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है     बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है       रकम (रुपए)     एकम (रुपए)       (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा     (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा	100 x		100 x		
10 x 10 x 05 x 05 x 05 x 02 x 02 x 01 x 01 x 01 x 01 x 01 x 01	50 x		50 x		
05 x       05 x         02 x       02 x         01 x       01 x         सिक्के       सिक्के         योग (नकद)       योग (नकद)         चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख       चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख         बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है       बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है         स्कम (रुपए)       स्कम (रुपए)         (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा       (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा	20 x		20 x		
02 X       02 X         01 X       01 X         सिक्के       सिक्के         योग (नकद)       योग (नकद)         चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख       चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख         बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है       बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है         रकम (रुपए)       रकम (रुपए)         (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा       (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा	10 X		10 x	<del></del>	
02 x       01 x         01 x       01 x         सिक्के       सिक्के         योग (नकद)       योग (नकद)         चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख       चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख         बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है       बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है         रकम (रुपए)       रकम (रुपए)         (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा       (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा	05 x		05 x		
01 x       01 x         सिक्के       सिक्के         योग (नकद)       योग (नकद)         चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख       चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख         बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है       बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है         रकम (रुपए)       रकम (रुपए)         (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा       (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा	02 x		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
सिक्के  योग (नकद)  चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख  चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख  वैक/शाखा जिस पर लिखा गया है रकम (रुपए)  (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा	01 x			<del></del>	
योग (नकद)  चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख  चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख  बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है  रकम (रुपए)  (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा	सिक्क				
वैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख वैक/डिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख वैक/शाखा जिस पर लिखा गया है स्कम (रुपए) रकम (रुपए) (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा (जमांकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा	योग (नकद)				
बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है   बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है   रकम (रूपए)   रकम (रूपए)   (जमाकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा   (जमाकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा	वैक/हिमांड ड्राफ्ट सं. और तारीख				
रकम (रुपए)				·	
रकम (रुपए) (जमाकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा (जमाकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा			बैंक/शाखा जिस पर लिखा गया है		
			(जमाकर्ता के हस्ताक्षर) द्वारा		
	(कृपया पृष्ठ उतटे)		···		

पूर्व पृष्ठ से .....

पूर्व पृष्ठ से .....

जमा	कार्यालय	द्वारा	मरा	जाए

सरकारी खाते का शीर्ष ( जमा कार्यालय द्वारा प्रविष्ट किया जाए ) #/##.....

> कोषाध्यक्ष के हस्ताह्मर (नाम और कार्यालय मुद्रा सहित) जमा कार्यालय का पर्यवेक्षक/भारसाधक कार्यालय की मुद्रा सहित

टिप्पण: 1. चैक/डिमांड ड्राफ्ट जमा कार्यालय के पक्ष में या सम्यकत: जमा कार्यालय के पक्ष में पृष्ठांकित जमाकर्ता के पक्ष में होना चाहिए ।

- चैक/डिमांड ड्राफ्ट आगमों की वसूली के अध्यधीन है।
   यदि लागू न हो तो काट दें।
- # जमां की बाबत मुख्य शीर्ष : 8001-राष्ट्रीय बचत जमा

## विभिन्न प्रभारों की बाबत मुख्य शीर्ष : 8008-एनएसएसएफ.00.104. की आय और व्यय । अन्य आय

### अभिकर्ताओं को अभिकरण कमीशन की बाबत : 8008-एनएसएसएफ.03.104. की आय और व्यय ।

#### जमा कार्यालय द्वारा भरा जाए

सरकारी खाते का शीर्ष ( जमा कार्यालय द्वारा प्रविष्ट किया जाए ) #/##.....

> कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर (नाम और कार्यालय मुद्रा सहित) जमा कार्यालय का पर्यवेक्षक/भारसाधक कार्यालय की मुद्रा सहित

टिप्पण: 1. चैक/डिमांड ड्राफ्ट जमा कार्यालय के पक्ष में या सम्यकत: जमा कार्यालय के पक्ष में पृष्ठांकित जमाकर्ता के पक्ष में होना चाहिए ।

- चैक/डिमांड ड्राफ्ट आगमों की वसूली के अध्यधीन है !
   यदि लागू न हो तो काट दें !
- # जमां की बाबत मुख्य शीर्ष : 8001-राष्ट्रीय बचत जमा

## विभिन्न प्रमारों की बाबत मुख्य शीर्ष : 8008-एनएसएसएफ.00.104. की आय और व्यय । अन्य आय

### अभिकर्ताओं को अभिकरण कमीशन की बाबत : 8008-एनएसएसएफ.03.104. की आय और व्यय ।

प्ररूप - ङ (नियम 8 का उप-नियम (1) और नियम 9 देखिए)

क्रम सं. ....

वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन खाते से निकासी/ उसको बंद करने के लिए आवेदन सेवा में,

डाकपाल/भारसाधक, .....(जमा कार्यालय का नाम)

विषय : खाते से निकासी/उसे बंद करने के लिए आवेदन

श्रीमान,	
1. मैं	भाष्म से बन्द करने के लिए गंकुल योग (ब्याज + गत जमा के प्रतिशत
जमा कार्यालय के उपयोग के लिए	
खाता सं जमा की तारीख जमा की रकम : रु	-11:54
जमाकर्ता के हक में मंजूर किया जाता है । अधिसंदत्त ब्याज(यदि कोई हो) रु., की वसूली कटौती, यदि कोई है रु. अ जाएं) रु. जिनका कुल योग रु. (रुपए) समायोजित किए गए है	. रूपए) है, मद्दे आहरण
संदत्त कुल रकम रु. ( रु.)	) <b>(</b>
रसीद	,
जिमा कार्यालय का नाम) सेरुपए जिम्हका ब्यौरा ऊपर दिया गया है । जमाकर्ता के इस्ताक्षर/अंगूठा निशान	ए) की धनराशि प्राप्त की
* जो लागू न हो उसे काट दें ।	
प्ररूप - च	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
——— (नियम ८ का उपनियम (३) और उपनियम (४) देखिए)	
क्रम सं	
दंपत्ति (संयुक्त धारक)/नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत स्की	···
खाते को बंद करने के लिए आवेदन	म, 2004 क अधान
सेवा में,	
डाकपाल/भारसाधक	§
(जमा कार्यालय का नाम)	
-	
विषय : निकासी/ खाता बंद करने के लिए आवेदन	:
श्रीमान,	
मैं/हम* जो प्रवर्गीय, जो वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 का जमाकर्ता है, का पति/ की पत्नी (संयुक्तधारक)/नामनिर्देशिति/विधिक वारिस हैं, उक्त खाते में मृतक रकम को वापस निकालना चाहता हूं/ चाहते हैं ।	1, खाता सं 5 के नाम बकाया संपूर्ण
कृपया निम्नलिखित संलग्न करें -	•
(i) जमाकर्ता के मृत्यु के संबंध में प्रमाणपत्र ।	i.
(ii)* जमाकर्ता द्वारा नियुक्त नामनिर्देशिती, (नामनिर्देशितियों) श्री/श्रीमती श्रीमती की मृत्यु के संबंध में प्रमाणपत्र ।	और श्री और
(iii)** मारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के उपबंधों के अधीन जारी किए गए मृत जमाक ामाणित प्रति के साथ उत्तराधिकार प्रमाणपत्र ।	र्ता की प्रौबेट विल की

(iv) जमाकर्ता की पास <b>बुक</b> ।
(v) # इन <del>डेमिनिटी पत्र</del> ।
(vi) # शपश्चपन्न ।
(vii) # शा <del>ष्ट्रपत्र पर दां</del> बात्याग पत्र ।
दावेदार (दावेदारों) के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा
साक्षी
(हस्ताक्षर, नाम और पता)
तारीख
स्थान
जमा कार्यालय के उपयोग के लिए
रू. (रूपए) की निकासी मंजूर की जाती है ।
किए गए समायोजन (विनिर्दिष्ट किए जाएं)
( रुपए)
संदेय कुल रकम रु.
( रुपए)
रसीद पर दावेदार (दावेदारों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं
हमारे दावे के संपूर्ण परिनिर्धारण पर
दावेदार के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा
*: जो लागू न हो उसका लोप करें !
**: यदि कोई विधिमान्य नामनिर्देशन है तो उसे काट दें ।
#: 1 लाख रुपए तक के दावों के लिए नामनिर्देशन के अभाव में विधिक वास्सिं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।
प्ररूप - च का उपाक्षं - 1
(इनडैमन्रिटी पत्र)
सेवा में,
डाकपाल/भारसाधक
(जमा कार्यालय का नाम)
आपके संदाय के प्रतिफल में या मुझे/हमें

उत्तराधिकारियों को ऐसे सभी दावों, मांगों, व मुझे/हमें पूर्वोक्त धनराशि का संदाय करने के हों, क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं और क्षति	लिए सहमत हो जाने या संदाय कर	रने के कारण या उसके परिणामसंख्या जातन
उसके साक्षी के रूप में हम साक्षियों मृतक के उपर नामित वारिस/वारिसों द्वारा हस उपर नामित प्रतिमृतिदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित व	ताक्षरित और परिदत्त	रीख को अपने हस्ताक्षर करते हैं ।
1.		
2.		
साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम और बते		
1. 2.	•	•
2.		
	•	अनुप्रमाणित किया जाता है
		नोटेरी पब्लिक
	प्ररूप - च का उपार्वध - 2	
¥	(शक्थपत्र)	
सेवा में,	•	
डाकपाल/ <b>भा</b> रसाधक		
(जमा कार्याः	•	
मैं/हम पति/ पुत्र/पुत्रियां स्वर्गीय शपथपूर्वक प्रतिज्ञान करते हैं कि :-	पत्नी स्वर्गीय निवासी	आयु आयु आयु यह घोषणा करते हैं और
(1) मैं/हम मृतक	की मृत्यु तिकी	पर को हो गई है, के संपदा का प्रतिनिधित्व करते हैं ।
(2) मृतक ने <b>कोई वसीय</b> हं/हैं ।	त नहीं छोड़ी है और इसलिए मैं/हम	ा उक्त मृतक की संपद्मा के एकमात्र वारिस
1.		
<b>2</b> .		tana da kabana da ka Kabana da kabana da k
3.	•	
		अभिसाक्षी
सत्यापन : मैं/हम जो ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित करता हूं/करते हैं कि इस शफ्ध क्रिपाई नहीं गई है ।	। हं/हैं,(स्थाः पत्र की अंतर्वस्तु मेरे/हमारे सर्वोत्तम	न का नाम) शपथपर्वक प्रतिसान करते हार
तारीख		
1.		
<b>2</b> .		•
3.		

अनुप्र<mark>माणित कियाःजाताःहै</mark> ओथ **कमिलन**र

अभिसाक्षी

100

#### प्ररूप च का परिसिष्ट 3

(शपथपत्र पर दावात्याग का पत्र)

		•	٠			
सेवा में						
	डाकपाल/भारसाधक					
		(जमा कार्यालय व	का नाम)			٠
	मैं/हम (i),		पति/प	ल <del>ी</del>		,
(ii)		पुत्र/पुर्त्र	ì			
(iii)		पुत्र/पुः	त्री			,
सत्यनिष्ट	ग से <mark>प्रतिज्ञा</mark> न करता (करती) हूं/क	रते हैं और निम्नलिखि	व्रत घोषणा करता (	करती) हं/करते हैं	कि :	
(1) हम		अपने स्वर्गीय	पिता/माता के वा	रिस अपने स्वयं के	लिए और	अपने वारिसों,
	i, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों					
जो हमा	रे माता/पिता द्वारा खोले गए खाते	ते में, मृतक पिता/म	ाता होने पर			(जमा <sub>ः</sub>
कायालय	। का नाम) द्वारा जारी ड्राफ्ट सं0 राए जा सकेंगे, का त्याग करते हैं :	भीत और स्वाप्ट	ताराख	जेलेकित काता कं	का वसू	लाक पश्चात् में
	भी अतिशेष और उस पर प्राप्त ह					
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		
	1.					
	2.		•			
	3.					. •
<del></del>				•		
का सदा	य करने में आपत्ति नहीं हैं ।					
	: मैं/हम, उपरोक्त अभिसाक्षी सत			' हूं/करते हैं कि इ	स शपथपत्र	की अंतर्वस्तु
	ज्ञान के अनुसार सत्य हैं और कि	सामातव्यकालम	था पहा पया है।		:	
ताराख						
	1.		•			
	2.		9 -		**	
	3.				* .	
			•			अगिसासी
मैं अभिर	नाक्षियों को पहचानता हूं जिसे/जि	न्हें मैं		*		<i>.</i>
वयैक्तिक	रूप से जानता हूं और जिसने/पि					
मेरी उपी	स्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।		,		-	
तारीख						
आका क	<b>मी</b> श्रामण					

237291104-2A

#### प्ररूप छ (नियम 11 देखिए)

	<del></del>	_		क्रम <sup>्</sup> स0	
	वरिष्ठ नागरिक बचत र	काम, 2004 के अधीन	न खाते का अंतरण क	रने के लिए आवेदन प	Я
सेवा में				4	
	डाकपाल/भारसाधक			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
	·	(जमा कार्यालय	æi/		
	***************************************		का नान)		
_					
विषय :	दूसरे जमा कार्यालय को खा	ति के अंतरण के लिए आवे	दिन ।	•	
महादेय,			<del></del>		
1.	में,		1151 AT 51 AT - 9		
निवासी .			-		
नागरिक	बचत स्कीम, 2004 के अर्ध	ोन अपना खाता संख्या	थाता १ और सः	४० का जमार स्में ज्यार	व्या वरिष्ठ
		रुपए)	सहित	i.	
	टिन क्यांना ने ।	(अंतरण करने	वाले जमा कार्यालय नाम	और परा पता) को अंक्रम	ग कराने के
लिए आवे	दिन करता हूं ।			and the state office	1 4744 47
2.	पास बुक संलग्न है ।			*	
	· ·	*.			
•			<b>ज</b>	गकर्ता के हस्ताक्षर या अंगू	ठा निशानी
साक्षी		*			
	(हस्ताक्षर, नाम	और पता)			
	प्तर नमूना/अंगूठा निशानी, अंत	ारक जमा कायालय म यथ	ाउपलब्ध, निम्न प्रकार है		
(1) प्रथम	जमाकर्ता :			;	
1.		2.		3	<del> </del>
<u>L</u>				3.	
*0				<del></del>	:
⊤ साक्षाः.	***************************************	* साक्षी	**	साक्षी	*******
(ii) संयुक्त	त जमाकर्ता :		•		
1.		7 2	<del></del>		
ŀ		2.		3.	
			··· <u>·</u> ·· <u>·</u>	<u> </u>	
(प्रतिहस्ताक्ष	तर अंतरक कार्यालय क गरसाधक)	ग (प्रतिहस्ताक्षर अंतरक	कार्यालय का (प्रति	हस्ताक्षर अंतरक कार्याः	ন্যা কা
		अक्रपाल/मारसाधक)	डाक	पाल/भारसाधक)	
तारीख	और कार्यालय मोहर	तारीख औ	र कार्यात्वय मोहर नही		
	/ɔ <del>i-</del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	अ आर कायाल	य माहर
भावश्यक उ	(अंत प्रविष्टियां कर दी हैं ।	ारण करन वाल जमा क	यिलय) को प्रेषित किय	गया और अभिलेख का	र्यालय में
			हस्ताक्षर और कार्यालय	की मोहर (अंतरक जमा व	गर्यालय)
			त	रीख	
			9	237291104-	

वल	अंतरक	जमा	कार्यालय	8	प्रयोग	के	लिए	
----	-------	-----	----------	---	--------	----	-----	--

क. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2004 के अधीन तारीख को खोले गए खाता सं0 का (अंतरक जमा कार्यालय का नाम और पता) की बही में
जमा रुपएं (केवल रुपएं) तीराख
को परिपक्व होने के कारण
ख. पास बुक की प्रविष्टियों की जांच कर ली गई है, अंतरण प्रदर्शित करने वाली आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं और पास बुक जमाकर्ता को लौटा दी गई हैं ।
हस्ताक्षर
डाकपाल/भारसाधक
अंतरक जमा कार्यालय
(कार्यालय की मोहर सहित)
मूल रूप में पास बुक प्राप्त की
# (जमाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)
तारीख
तारीख
* : अंगूता निशानी की दशा में

# अंतरक जमा कार्यालय में पास बुक प्राप्त होने पर हस्ताक्षर किए जाएं)

#### MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2004

G.S.R. 490(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act. 1873 ( 5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004.
  - (2) They shall come into force on the 2<sup>nd</sup> day of August, 2004.
- Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires:-2.
- (a) 'Account' means a savings account opened by the depositor in accordance with the provisions of these
- (b) 'Act' means the Government Savings Banks Act, 1873 ( 5 of 1873);
- (c) 'deposit' means the money deposited in an account under the provisions of these rules;
- (d) 'Depositor' means an individual -
  - (i) who has attained the age of 60 years or above on the date of opening of an account under the provisions of these rules, and by whom, or on whose behalf, money is deposited in an account under these rules, or

- (ii) who has attained the age of 55 years or more but less than 60 years, and who has retired under a voluntary retirement scheme or a special voluntary retirement scheme on the date of opening of an account under these rules, subject to the condition that the account is opened by such individual within three months of the date of retirement and a certificate from the employer, indicating the fact of retirement under such voluntary or special voluntary retirement scheme, retirement benefits, employment held alongwith period of such employment with the employer, is attached with the application form (FORM-A).
- (e) 'Deposit Office' means any post office in India doing savings bank work and authorised by Director General Posts, to open an account under these rules.
- (f) 'Form' means a form appended to these rules.
- 3. Opening of account:- (1) Any depositor may open an account at any deposit office by making an application in FORM -A alongwith the amount of deposit as per the pay-in-slip in FORM-D, duly filled in, alongwith age proof.
  - (2) A depositor may operate more than one account under these rules subject to the condition that the deposits in all accounts taken together shall not exceed the maximum limit as specified under rule 4:

Provided that more than one account shall not be opened in the same deposit office during a calendar month.

- (3) A depositor may open the account in individual capacity or jointly with spouse.
- **4. Deposits and withdrawals :- (1)** There shall be only one deposit in the account in multiple of one thousand rupees not exceeding **rupees fifteen lakh**.
  - (2) Except as provided in rule 9, no withdrawal shall be permitted under these rules before the expiry of a period of **five years** from the date of opening of an account.
  - (3) The depositor may extend the account for a further period of three years by making an application in **FORM-B** to the deposit office within a period of one year after the maturity period of five years as specified in sub-rule (2).

**Explanation.-** Extension of account under this sub-rule shall be deemed to have been made from the date of maturity irrespective of the date of application.

- (4) A deposit office shall, as soon as it comes to the notice that a deposit exceeds the ceiling prescribed under sub-rule (1), request the depositor in writing, to withdraw the excess deposit immediately.
- 5. Mode of deposit :- (1) The deposit under these rules may be made:
  - (a) in cash, if the amount of deposit is less than rupees one lakh.
  - (b) by cheque or demand draft drawn in favour of the depositor and endorsed in favour of the deposit office, or in favour of the deposit office.
  - (2) Where a deposit is made by cheque or demand draft, the date of deposit under these rules shall be the date of encashment of the cheque or demand draft.
  - (3) Where a deposit is made by means of an outstation cheque or demand draft, collection charges at the prescribed rate shall be payable alongwith the deposit and the date of realisation of the cheque or demand draft shall be the date of deposit.
- **6. Nomination:- (1)** The depositor may at the time of opening of the account under these rules, nominate a person or persons who, in the event of death of the depositor, shall be entitled to payment due on the account.
  - (2) If such nomination is not made at the time of opening of the account, it may be made by the depositor at any time after the opening of the account but before its closure, by an application in FORM-C, accompanied by the pass book to the deposit office.

- (3) The nomination made by the depositor may be cancelled or varied by a fresh nomination in **FORM-**C to the deposit office in which the account stands.
- (4) Nomination facility shall be available in the case of joint account also. However, in such case, the joint holder will be the first person entitled to receive the amount payable in the event of death of the depositor and the nominee's claim shall arise only after the death of both the depositor and the joint holder.

**Explanation.-** In case of joint account or where the sole nominee is the spouse, the spouse may continue the account in accordance with the proviso below sub-rule (3) of rule 8.

- (5) In case of a joint account or where the spouse is the sole nominee, the spouse shall also be eligible to make, cancel or vary the nomination made earlier, after the death of the depositor, in accordance with sub-rule (2) to (4).
- **(6)** Every nomination and every cancellation or variation thereof shall be registered in the deposit office and shall be valid from the date of such registration, the particulars of which shall be entered in the pass book.
- 7. Interest on deposit:- (1) The deposit made under these rules shall bear interest at the rate of nine per cent per annum from the date of deposit.
  - (2)Interest shall be payable from the date of deposit to 31<sup>st</sup> March/30<sup>th</sup> June/30<sup>th</sup> September/31<sup>st</sup> December as the case may be, in the first instance and thereafter, interest shall be payable on 31<sup>st</sup> March, 30<sup>th</sup> June, 30<sup>th</sup> September and 31<sup>st</sup> December.
  - (3) In case any of the dates of interest payment, specified under sub-rule (2), fall on a Sunday or a holiday, the previous working day shall be deemed to be the due date for the purpose of interest payment.
  - (4) If so authorised, interest payable on the due dates as specified in sub rule (2), shall be credited to the depositor's savings account in the deposit office in which the account exists subject to the condition that by so credit of the interest amount, the maximum limit of deposits, if any, in the savings account, is not exceeded.
  - **(5)** If the interest payable every quarter is not claimed by a depositor, such interest will not earn additional interest.
  - (6) Interest shall be rounded off to the nearest multiple of rupee one and for this purpose any amount of fifty paisa or more shall be treated as rupee one and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
  - (7)The excess amount referred to in sub-rule (4) of rule 4, shall carry interest at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account and such interest shall be payable from the date of deposit of excess amount to the end of the month preceding the month in which the deposit office requests the depositor to withdraw the excess amount; the amount of excess interest, if any, already paid to the depositor, shall be deducted.
  - (8) In case of an account, continued after maturity under sub-rule (3) of rule 4, the deposit in such account shall earn interest at the rate applicable to the new accounts opened or to be opened under the provisions of these rules on the date of maturity.
  - (9) In case of an account which is not extended on maturity and closed at any time as per provisions of sub-rule (2) of rule 8, post maturity interest at the rate, as applicable to the deposits under the Post Office Savings Account from time to time, shall be payable on such matured deposits, upto the end of the month preceding the month of closure of the account.
- 8. Closure of account:- (1) The deposit made at the time of opening of account shall be paid by the deposit office at which the account stands to the depositor on or after expiry of five years from the date of the opening of the account on production of the pass book accompanied by a written application (withdrawal form) in FORM-E.
  - In case the depositor does not close the account on maturity as specified under sub-rule (1), and also does not extend the account under sub-rule (3) of rule 4, the account shall be treated as

¥

matured and the depositor will be entitled to close the account at any time subject to the condition that **post maturity interest** as prescribed under sub-rule (9) of rule 7, shall only be admissible for the period beyond maturity.

(3) In case of death of a depositor before maturity, the account shall be closed and deposit refunded on an application in **FORM-F**, along with interest till the end of the month preceding the month in which refund is made, to the nominee or legal heirs in case the nominee has also expired or nomination, as provided in rule 6, was not made, as the case may be:

Provided that in case of a joint account, or where the spouse is the sole nominee, the spouse may continue the account on the same terms and conditions as specified under these rules:

Provided further that in case the spouse does not continue the joint account, the account shall be closed on an application in **FORM-F** and the deposit refunded along with interest as above.

(4) Where there is no nomination in force at the time of death of the depositor, the amount standing to the credit of the deceased depositor shall be paid by the deposit office to the legal heirs of the deceased depositor on receipt of an application in FORM-F along with a certificate of death of the depositor and a succession certificate or Letter of Administration with attested copy of probated will of the deceased depositor issued under the provisions of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925).

Provided that the total amount including interest, payable **upto rupees one lakh** may be paid to the legal heirs on production of (i) a letter of indemnity, (ii) an affidavit, (iii) a letter of disclaimer on affidavit, and (iv) a certificate of death of the depositor on stamped paper, in the forms as in **Annexures to Form-F.** 

- (5) No deduction, as specified under rule 9, shall be made in case of premature closure of an account at any time due to death of a depositor.
- 9. Premature closure of account:- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 4, on an application in FORM-E, in this regard, the depositor may be permitted to withdraw the deposit and close the account at any time after the expiry of one year from the date of opening of the account subject to the following conditions, namely:-
  - (a) In case the account is closed after the expiry of one year but before the expiry of two years from the date of opening of the account, an amount equal to one and a half per cent of the deposit shall be deducted and the balance paid to the depositor.
  - (b) In case the account is closed on or after the expiry of two years from the date of opening of the account, an amount equal to one per cent of the deposit shall be deducted and the balance paid to the depositor.
  - (2) The depositor availing the facility of extension of account under sub-rule (3) of rule 4, may be permitted to withdraw the deposit and close the account at any time after the expiry of one year from the date of extension of the account without any deduction.
- 10. Pass Book:- (1) On opening of an account, the depositor shall be given a pass book immediately, alongwith the depositor's copy of the pay-in-slip (Form-D) duly stamped and signed by the deposit office in token of having received the amount of deposit. The pass book shall bear the date of opening of account, the number of the account, the depositor's name, photograph(also name and photograph of the spouse in case of joint account) and address, the amount deposited, the quarterly interest payable alongwith due dates of payment, the date on which the deposit will be due for final payment, the name(s) of the nominee(s) and agent's name, agency code number, date and validity, in case the account has been introduced through an agent:

Provided that if the deposit is made by means of a cheque or a demand draft, the pass book shall be given to the depositor only on the date of deposit after encashment of the cheque or demand draft as provided under sub-rule (2) of rule 5.

(2) The depositor availing of the facility of credit of interest in savings account under sub-rule (4) of rule 7, shall present the pass book to the deposit office at least once in a year for completion of entries.

- (3) The depositor not availing of the facility of credit of interest in savings account under sub-rule 4 of rule 7, shall present the pass book to the deposit office at the time of collecting interest every quarter.
- (4) In case of original pass book being lost, or mutilated or damaged, a duplicate pass book may be issued on payment of a fee of rupees ten in case of issue of first duplicate pass book and rupees twenty in case of any subsequent issue, on a simple application on plain paper. The issue of duplicate pass book(s) shall be noted by the deposit office in its office records including the ledger folio bearing particulars of the account.
- (5) In case the lost pass book is found after issue of a duplicate pass book, it shall not be treated as valid for any purpose and shall be surrendered immediately to the deposit office who shall destroy the same immediately in presence of the depositor.
- 11. Transfer of account from one deposit office to another:- A depositor may apply on FORM-G, enclosing the pass book thereto, for transfer of his account from one deposit office to another in case of change of residence:

Provided that where the deposit is rupees one lakh or above, a transfer fee of rupees five per lakh of deposit shall be payable.

**12. Account opened in contravention of rules:-** Whenever it comes to notice that an account has been opened in contravention of these rules, the account shall be closed immediately and the deposit in the account, after deduction of the interest, if any, paid on such deposit, shall be refunded to the depositor.

### 13. Deposits by Non-Resident Indians(NRIs) and Hindu Undivided Families (HUF):-

(1) The Non Resident Indians are not eligible to open an account under these rules:

Provided that if a depositor who subsequently becomes a Non-Resident Indian during the currency of the account under these rules, the account may continue till its maturity on a non-repatriation basis and the account shall be marked as a Non-Resident account:

Provided further that the account continued under the above proviso, shall not be extended for any further period as provided under sub-rule (3) of rule 4.

- (2) Hindu Undivided Family is also not eligible to open an account under these rules.
- 14. Power to relax:- Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of these rules, causes undue hardship to the depositor, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2-8/2004-NS-II] D. SWARUP, Secy.

#### FORM-A

(See clause (d) of rule 2 and sub rule (1) of rule 3)

Serial	No								

	CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004
•	
The Postmaster/Incharge	Paste here a copy of
(name of the Deposit office)	recent
	photograph.
	(Joint Photograph of both the Depositor & Spouse in case of a joint actount)
Name of Agent (in case of the account introduced through agent)	
Agency Code NoDatedDated	valid upto
. I,, son/daughter/v ermanent resident of	
gedyears, hereby apply for opening of an account under the Senior eferred to as the said scheme), in my name / jointly in my name	Citizens Savings Scheme, 2004, (hereinaft and my spouse
gedyears, hereby apply for opening of an account under the Senior eferred to as the said scheme), in my name / jointly in my name(name and address of	Citizens Savings Scheme, 2004, (hereinaft and my spouse
gedyears, hereby apply for opening of an account under the Senior eferred to as the said scheme), in my name / jointly in my name	Citizens Savings Scheme, 2004, (hereinafter and my spouse
gedyears, hereby apply for opening of an account under the Senior eferred to as the said scheme), in my name / jointly in my name	Citizens Savings Scheme, 2004, (hereinafter and my spouse
gedyears, hereby apply for opening of an account under the Senior eferred to as the said scheme), in my name / jointly in my name	Citizens Savings Scheme, 2004, (hereinafter and my spouse

- I/we\* shall adhere to the ceiling on deposits, taking the deposits in all the accounts opened by me/us\* together, as specified in rule 4 and amended from time to time. In case, at any time, any excess deposit is found, such excess deposit will be refunded to me/us\* after recovery of excess interest under sub-rule (8) of rule 7.
- 3. I nominate the following person / persons, mentioned below, to whom, to the exclusion of all other persons, in the event of my death the amount standing to my credit in the account would be payable in accordance with the provisions contained in rule 6:

=						
il. ak	ame(s)of the nominee(s) ongwith relationship with e depositor	Permanent Address	nomine	of birth of e(s) in case ninor/age in ese(s)	nominee(s) in	
shri/Sn address	As the nominee(s) at nt./Kumaris(es) of the person(s) in respect from the minority	ect of each minor nominee] to		[name	(s) with pern	ppoint nanent in the
<u> Vitne</u>	sses(Signature, name and a	address):	Signature/	Thumb impre	ssion of the dep	ositor
		Nate		At (Place		
/ly/our	* specimen signatures (thumb t depositor:-		· .	·		
1.		2.		3.		
ii) *Jo	int depositor;-					
1.		2.		3		
∤Witne	ess	#Witness	#	Witness		••••••
Count	ersigned Postmaster/Incharge	e) (Countersigned Postmas		(Countersigne	ed Postmaster/Inc	harge)
I. ny/ou nteres	I also declare that the inform r knowledge and belief and in st on the deposits shall be paya ecovery of the interest, if any,	n case, at any time, any of a able to me/us*, the deposit of	in the applica	tion hereinabo n and/or decla	ve, is true to the tration is found fa	best of Ise, no eposits
Date.				(Sign	ature of the app	licant)
	sures:			(Pres	sent Postal Addr	ess)
	Age proof.     Copy of receipt     Pav-in-Sitp (For	ed application form for allotm m-D), duly filled in alongwith the employer as specified in	amount of dep	oosit.		

<sup>\*:</sup> Score out whichever is not applicable.

- \*\*: (1)The applicant(s) who are not assessed to income tax, may furnish a self declaration, that their income from all sources (including the interest income from the account to be opened vide this application) does not cross the exemption limit and the applicant is not required to obtain PAN under Income Tax Act, 1961, as amended from time to time.
  - (2) All other applicants shall mention the PAN No. compulsorily and in case they have not so far been allotted PAN by the Income Tax Authorities, attested photocopy of the receipted application form for allotment of PAN should be attached to the application form.

#: In case of thumb impression.

NOTE: (1) Self attested copies of any of the following documents can be enclosed as age proof:- Birth Certificate issued by the Municipal authority/ Gram Panchayat/District Office of the Registrar of Births and Deaths; Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; PAN Card; Passport; Ration Card; Date of birth certificate from the school last attended by the applicant or any other recognised educational institution or Driving Licence issued by the local licensing authority.

(2) Originals of the documents attached, should also be produced simultaneously for verification and return immediately.

	FOR THE USE OF DEPOSIT OFFICE
Α	The account has been opened onwith Rs(Rupees
	gent's name, agency code number, date and validity have been entered in the ledger folio as well as Pass boo case of account introduced through agent).
Pa	ass Book Nohas been issued.
Da	Signature of the Incharge of Deposit Office (alongwith name and designation stamp)
<del></del>	FORM-B (See sub-rule (3) of rule 4) Serial No APPLICATION FOR EXTENSION OF AN ACCOUNT UNDER
	SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004
	The Postmaster/Incharge,  (name of the Deposit office)
jeci	ct: Application for extension of an account for three years, with ef
	I,

	[ भाग <u>II — खण्ड 3(i) J</u>	4100 40 4413 . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2.	I have understood the terms Senior Citizens Savings Scheme Ru	and conditions applicable to the account during the period of extension under the es, 2004 as amended from time to time.
3.	I shall close the account imm at my credit in the account after ac in connection with the said account	nediately on completion of the extended period and get back the deposit standing flustment of the interest paid in excess, if any, and any other charges recoverable.
	Date	Signature of the Depositor
	Place	( name and address)

Date	•••••	S.	Signature of the Depositor
Place			( name and address)
+		FOR THE USE OF DEPOSIT	OFFICE
(Rupees matured from applicab applicab	l ontoto	has been extended for Rate of interes resh deposits opened or to bod of the deposit.	with Rs
Date			Signature of the Incharge of Deposit Office (along with name and designation stamp)
		FORM-C	
•		(See rule 6)	Serial No
APPLICATION	N FOR NOMINATION/CH	ANGE/CANCELLATION OF SAVINGS SCHEME, 2004	NOMINATION UNDER SENIOR CITIZENS
то			
	ostmaster/Incharge,		office)
<b>Subject:</b> Sir,		on or Change/Cancellation	of Nomination.
	n, to the exclusion of all oth would be pay	or pareone in the event of my	the following person / persons, mentioned y death the amount standing to my credit in the provisions contained in rule 6 of Senior Citizens

		THE GAZETTE OF INDIA:	EXTRAORDINARY	[PART II—SEC, 3(i)]
SI. No.	Name(s)of the nominee(s) alongwith relationship with the depositor(s)	Permanent Address	Date(s) of birth of nominee(s) in case of a minor/ age in other case(s)	Share of the
	<u></u> -			
ven .* ppli	Smt./Kumariess(s) in respect of my death during the minority  This is in supercession of the cation dated	of the nominee(s).  nomination(s), made by me	earlier at the time of oper	the said account in the said account/vide in
	·	The state of the s		
itn	enes(Signature, name and a	ddress):	Signatu	re of the depositor
itn	eases(Signature, name and a	ddress):	Signatu	re of the depositor me and address)
itn	emes(Signature, name and a	ddress):	Signatu	re of the depositor
itn	enes(Signature, name and a	ddress):	Signatu	re of the depositor
itn	At (Place)	ddress):	<b>Signatu</b> (Na	re of the depositor
ita ite	At (Place)	able. FOR THE USE OF DEPOS	Signatur (Na	re of the depositor me and address)
ita ite	At (Place)	able.  FOR THE USE OF DEPOS  on has been registered on.	Signatur (Na	re of the depositor me and address)  AND/OR the earlier
te	At (Place)	pn has been registered onhas been changed/cancel made in the Pass Book (No	Signatur (Na	re of the depositor me and address)  AND/OR the earlier
ita ite	At (Place)	pn has been registered onhas been changed/cancel made in the Pass Book (No	Signature of the Incl	AND/OR the earlier
lita	At (Place)	ph has been registered onhas been changed/cancel made in the Pass Book (Nohy.)	Signature of the Incl	AND/OR the earlier
lita	At (Place)	pon has been registered on	Signature of the Including (alongwith name a	AND/OR the earlier
ita ate	At (Place)	ph has been registered onhas been changed/cancel made in the Pass Book (No	Signature of the Inci (alongwith name a	re of the depositor me and address)  AND/OR the earlier

Depositor's copy Name of Deposit Office Deposit Office's copy Name of Deposit Office Name of depositor. Name of depositor.... Address: Address: Father's/Husband's name: Father's / Husband's Name: \*Name of Agent (in case of account introduced through \*Name of Agent (in case of account introduced through agent) with agency code No., date and validity..... agent) with agency code No., date and validity..... ..... Account No..... Date..... Account No..... Date..... (to be filled in by deposit office) (to be filled in by deposit office)

Ledger Folio(to be filled by dep	osit office)	Ledger Folio(to be filled by deposit office)		
Amount of Deposit (Rs.)#		Amount of Deposit (Rs.)#		
Cheque/Demand Draft	····	Cheque/Demand Draft		
realisation charges (Rs.)##		realisation charges (Rs.)##		
Account Transfer Fee (Rs.)##		Account Transfer Fee (Rs.)##		
Fee for issue of Duplicate Pass Book		Fee for issue of Duplicate Pass Book		
(Rs.)##		(Rs.)##		
Other charges, if any. (Rs.)##	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Other charges, if any. (Rs.)##		
TOTAL AMOUNT (Rs.)		TOTAL AMOUNT (Rs.)		
(,	•	· •		
Total Amount in words (Rupees		Total Amount in words (Rupees		
		, ,		
	)	***************************************		
Details of CASH DEPOSIT:	AMOUNT	Details of CASH DEPOSIT:	AMOUNT	
1000 x		1000 x		
500 x		500 x		
100 x		100 x		
50 x	4	50 ×		
20 x		20 x		
10 x		10 x		
05 x		05 x		
02 x		02 x		
01 ×		01 x	# 1 · · · ·	
COINS		COINS		
TOTAL (CASH):		TOTAL (CASH):		
Cheque / Demand Draft No. and date:		Cheque /Demand Draft No. and date:		
		***********************************		
Bank / Branch on which drawn:		Bank / Branch on which drawn:		
•				
		***************************************		
AMOUNT (RUPEES) :		AMOUNT (RUPEES) :	` <u> </u>	
By (Depositor's signature)		By (Depositor's signature)	•	
Continued from prepage		Continued from prepage	•	
TO BE COMPLETED BY DEPOS	IT OFFICE	TO BE COMPLETED BY DEPO	SIT OFFICE	
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0				
Head of Government Account(to be en	tered by Denosit	Head of Government Account(to be	entered by Deposit	
Office)# / ##	icci cu by bioposic	Office)# / ##		
Onice)# / ##				
Received Rs (Rupees		Received Rs (Rupees	***************	
Wecelaca Committee Committ		- 64644564444444444444444444444444444444		
as detailed hereinabove. For depo	esit in Account	as detailed hereinabove. For de	posit in Account	
No		. <b>№</b>		
*Agent's Commission at the rate ofp	er cent of deposit	*Agent's Commission at the rate of	per cent of deposit	
amounting to Rs (Rupees	)###	amounting to Rs (Rupees	)###	
has been paid at source (under receipt).	ř	has been paid at source (under receipt).		
•			$(\alpha_{ij},\alpha_{ij}) = (\alpha_{ij},\alpha_{ij}) + (\alpha_{ij},\alpha_{ij})$	
Cashier's scroll No		Cashier's scroll No	Cinnelum of Continu	
Signature of Cashier			Signature of Cashier	
(with na	me and office seal)	(WILL) I	name and office seal)	
· ·			$\mathcal{J}^{(1)}$	
•	•			
			المستعلق المواجع المعارض والمستعدد والمستعدد	
	upervisor/Incharge		Supervisor/Incharge	
of Deposit office a	longwith office seal	of Deposit office	alongwith office seal	

NOTE: 1. The cheque/demand draft should be in favour of the Deposit Office, or in favour of the depositor duly endorsed in favour of the deposit office.

- 2. Cheques / Demand Drafts are subject to realisation of the proceeds.
- \* Score out if not applicable
- #: In respect of Deposits:-Major Head:8001-National Savings Deposits.
- ##: In respect of various charges:-Major Head: 8008-Income and Expenditure of NSSF.00.104.Other Incomes.

###:In respect of agency commission to agents: Major Head: 8008-Income and Expenditure of NSSF.03.104

- NOTE: 1. The cheque/demand draft should be in favour of the Deposit Office, or in favour of the depositor duly endorsed in favour of the deposit office.
- 2. Cheques / Demand Drafts are subject to realisation of the proceeds.
- \* Score out if not applicable
- #: In respect of Deposits:-Major Head:8001-National Savings Deposits.
- ##: In respect of various charges:-Major Head: 8008-Income and Expenditure of NSSF.00.104.Other Incomes.

###:In respect of agency commission to agents:

Major Head: 8008-Income and Expenditure of
NSSF.03.104

			FORM - E		
		(See sub rui	e (1) of rule 8 and rule 9	9)	
	ADDITION D			Serial N	ło
TO	APPLICATION FC	OR CLOSURE OF AN ACCO	UNT UNDER SENIOR CITE	ZENS SAVINGS SCH	IEME, 2004
	The Postmast	ter/Incharge,			•
			ne of the Deposit office)		
	***************************************	***************************************			
Subje	ect: Applica	tion for withdrawal/closure	e of account.		:
Sir,					
1.	I,		son/daughter/wif	e of	
reside	TIT OF				
and de	epositor of accour	nt No	(hereinafter referred to	o as the 'said accou	int's hereby anniv
Rs	or the saku	account with immediate	TOTAL /INTEREST	therostry be	and deposit of
(Rupe	es	***************************************		radiustment of a	nvetnald interest
ana/oi	r aeauction equ	Application for withdrawal/closure of account.  Application for withdrawal/closure of account.  ———————————————————————————————————			
(Rupe	<b>e</b> s	*************************************		nd any other char	ges; recoverable
rrom n	ne in respect of tr	ne account in question, ma	By kindly be refunded to m	e immediately.	
2.	· The Pass Book i	is enclosed.			í
		•	Signature o	or thumb impression	of the Denositor
		8 49 40 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			
		EAD LICE DY	THE BEBOOT OFFICE		;
		<u>ruk use bi</u>	THE DEPOSIT OFFICE	<b>!</b>	r F
Rs					<b>)</b> .
to Rs		(Rupees	and deposit Rs		totalling
is sanc	tioned in favour c	of the depositor.	:		•
^Keco\ ∩ther	very of overpaid if	nterest Rs	deduction or Rs.		and
(Rupe	25	be specified) Rs		g (0 KS \hacka	on adjusted
					-
NET A	MOUNT PAID R	s (Rupee	S		

		RECEIPT	•	
	of Rs			etails furnished above.
			Signature / Thu	umb impression of the depositor
*: Score out v	vhichever is not applic	able.		
		<u> FORM F</u>		
	(Se	ee sub-rules (3) and (	(4) of rule 8)	<b>6</b>
		ACCOUNT UNDER S INT HOLDER) / NO		Serial NoSAVINGS SCHEME, 2004 HEIRS
	stmaster/Incharge,	(name of the De	posit office)	
	Application for withdraw		nt.	
late	, th	e depositor to the	Senior Citizens S	r) / nominee(s) /legal heirs of avings Scheme, 2004 account g to the credit of the deceased
(i) A certificate (ii)*A Certificate Shri/Shrimati (iii)** Succession depositor issued		n of Shrl/ Shrimati also the Administration with	nominee(s) appoin attested copy of p	ted by the Depositor. probated will of the deceased
(v)# Letter of II (vi)# Affidavit.	ndemnity.			
· •	disclaimer on affidavit		* ¢-	
	re, name and address)		Signature or th	numb Impression of claimant(s)
	.,,			
Place	***************************************	- <del></del> -		
	<del></del>	USE BY THE DEP	•	e ar
is sanctioned.  Adjustments		specified)		***************************************
NET	AMOUNT	PAYABL	E )	<b>Rs</b>

### RECEIPT TO BE SIGNED BY THE CLAIMANT(S)

Received a sum of Rs		S		************	
from settlement of our claim.	(Name of	Deposit of	fice) as per d	etails furnish	ed above, in full
section of our claim.		Signat	ure / Thumb	impression o	of the claimant(s)
*: Delete whichever is not app	plicable.	Signat	are / manu	iiibiæsion o	ir ure ciaimanu(s)
**: Strike off if there is a valid					
#: To be produced by legal	heirs, in the absence	of nomin	ation(s) fo	r claims up	to Rs. 1 lakh.
	ANNEXURE-I TO	D FORM -	F	j	
	(Letter of inc		<u> </u>		
T0			•		
ТО					·
The Postmaster / Incharge	<b>},</b>				
***************************************	(Name of the deposit	office)			
			•		
In consideration	of your paymer	et or	agreeing	to na	y me /
us			agreeing	to po	iy iiie /
		*************	••••••••••		
[Name(s) of Legal heir(s)] the sum	of De	/Pupper		-	
[Manie(s) or Legal hea(s)] the sun	) standing in the acc	. (Rupees Coufit No	***************	••••••	under SENTOR
Citizens savings scheme, 2	604 with your office in	the name of	F	******************	
with	put production of letters	of adminis	tration or a	succession c	ertificate to the
estate of the deceased					' "
I/We we	***********************				and
heirs, legal representatives, execut you and your successors and assi- expenses which may be raised ago pay/or paying me/us the sum as a	gn <b>s</b> against all claims, d jainst or incurred by yo	emands, pro	oceedings, lo	sses, damag	es, charges and
In witness whereof we have	ve hereunto set my/our i	hands at this	s da	av of	in
the presence of witnesses,	is marconico occiniy/out	idijas et en	J		············
				1	
Signed and delivered by the above neir/heirs of the deceased.	named	•			
Signed and delivered by the					
above named sureties (Signature, I	names and address)				
					-
2.	•.			•	
Signature, names and address of w	iltnesses:	* .			
	•				
	• •			•	
•	:	4		• •	
2.					*
					ATTESTED

**NOTARY PUBLIC** 

## ANNEXURE-II TO FORM - F (Affidavit)

,			•					
TO								•
	The Postmaster / I	ncharge,						
	*************************	(Name	of the deposit offic	e)		•		
				14 1 4 m				
	I / We		Husband of /	wife of late				
ged	aged	aged	, sons/daughters of	the said late				
esidei	nt of					•		
1)	That I / we am/are	e the only heir(s)	of the deceased			who died	at	
-,	on	I / We	e alone represent t	he estate of Sh	nri/Smt	******************		***********
	That the deceased	1	did not la	ave any will an	d therefor	e T/we are	the only su	rressor(s)
2)	the estate of the sa		uu noc rec	ave ally will di	io tricicio	ci, wcurc	and ormy ou	
	and country or and or	ui'a abaa-baa.				×		.,
	1.							٠
				. •				1.000
	2.							
	۷.			4 · · · ·			e de la serie de la composition della compositio	
!		-		•				
	3.							5.4
				•	•			
								DEPONENT
			والمناسبة المناسبة	t	- seleme	effirmation in		
'ERIF name oncea	of place) that the collect	, the above-name ontents of this af	fidavit are true to	the best of my	//our know	ledge and no	othing mate	rial has be
Orico							•	,
ated.			•					•
						*		
	1.		•	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
								<b>.</b> **
	2							-
	2.		•	-				
							•	•
	3.							
								DEPONENT
TTES	TED							

OATH COMMISSIONER

# <u>ANNEXURE-III TO FORM - F</u> (Letter of disclaimer on Affidavit)

_		_
-	T'/	7

	The Postmaster / Incharge,(Name of the deposit office)	
acid	I / We (i)Husband of / wife	e of
'ii)	lent ofson/daughter	~£
(ii)	son/daughter	of
		<b>4</b>
lo he	ereby declare and solemnly affirm as follows:-	
1)	That Shri/Smt.	died intestate on
eavin	ng behind us	his/her only heirs.
(2)	That we	
	That welves and on behalf of our heirs, executors, representatives an	d assigns to homely religiously and late father/mother for
JT KS		d to the account sought by our mother/father to be
perit	ou in the deposit office in the name of the estate of the said	
recea	iseu fauter/mother after the realisation of Draft No	
うついこく	J DY	(name of the denocit office) and we
ave	no objection whatsoever in the balance in the above-referre	ed account Notogether with
	st, if any, accrued thereon being paid by	the Deposit office to our mother/father
113.71	The state of the s	·
	1.	
	2.	
	•	
	3.	
		DEPONENTS
ERI	FICATION: I / We, the above-named deponents do hereby	Verify on colomn affirmation that the contents of the
ffidav	vit are true to the best of my/our knowledge and nothing mat	erial has been concealed
		The second contention
ated.		
	1.	
	<b>2.</b>	
	3.	
	<b>-</b>	
		nenalitate de la constitución de
		DEPONENTS
		DEPONENTS
I ider	ntify the deponent(s) who is/are personally known to me	DEPONENTS
I ider nd w	ntify the deponent(s) who is/are personally known to me who has/have signed in my presence.	DEPONENTS
ind w	ntify the deponent(s) who is/are personally known to me who has/have signed in my presence.	DEPONENTS

# FORM - G (See rule 11)

Serial	No	

### APPLICATION FOR TRANSFER OF ACCOUNT UNDER SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME, 2004

то	
The Postmaster/Incharge,	(name of the Deposit office)
Subject: Application for Transfer	of account to another Deposit office.
Sir,	
Docidant of	, son/daughter/wife of, a
depositor of account No(Rubees	hereby apply for TRANSFER OF MY ACCOUNT Nowith a under the Senior Citizens
	(Name and full address of the transferee deposit office)
2. The Pass Book is enclosed.	Signature or thumb impression of the Depositor
(signature, name and address) My specimen signature/thumb impression (i) Ist Depositor:-	ons, as available in the record of transferer deposit office, are as below:-
<b>1</b> .	3.
*Witness	*Witness*Witness
Joint Depositor:-	
1.	2. 3.
Countersigned Postmaster/Incharge (Countersigned Postmaster/Incharge (Countersigned Postmaster)  On the Counters of the Counter Seal (Counters)	Countersigned Postmaster/Incharge (Countersigned Postmaster/Incharge of Transferer office) of Transferer office)  Date
Forwarded to:	(Transferee Deposit office) and necessary entries passed
in the office record(s).	Signature & office seal (Transferer Deposit office)  Date
FOR	USE BY THE TRANSFEREE DEPOSIT OFFICE
under SENIOR CITIZENS SAVING &(join	er of account No

B. The entries in the pass book have been checked, necessary entries indicating transfer, have been made and pass book has been returned to the depositor.

#(Signature/thumb Impression of the depositor )
Date......

\*: In case of thumb impression.

Signature of Postmaster / In-charge (with office seal)Transferee Deposit Office.

#: to be signed on receipt of the pass book at the transferee deposit office.